19 6/17 आज यह पत्रावली देखने को हरदेवली में एक भूखण्ड प्रार्थी कमल उप. / प्रार्थी कमल का सुनागर्थ प्रा. पत्र पर्ची रूप से विचारणीय है। किसी पत्रावली का अस्थायी निर्माण प्रार्थीगण पृथक्गत आवंटी के खातेदार रहे हैं, पूर्व में पंजीयन हो चुका है जिसके अनुसार पुनः सीमांकन उभय पक्षों की मौजूदगी में पत्थर गढ़ी कराया जाना उचित प्रतीत है अतः प्रा.पत्र स्वीकार किया जाता है। विवादित आ.प्र. नं. 2568, 2570, 2571, 2569, किला-4 का के ग्राम हरदेवली तह. कोटकासिम जिला अलवर राज. की कमर्शियल सिटी न 08-07-2001 के अनुसार पुनः सीमा ज्ञान उभय पक्षों की मौजूदगी में कराया जाकर पत्थर गढ़ी कराये जाने के लिये तहसीलदार कोटकासिम को आदेश दिये जाते हैं। पत्रावली नजूल से कम होना व अदालत सहायक दफ्तर की सेवा अहकाम जारी हो। निर्णय के अनुसार में लिखा जाकर सुनाया गया।

Scanned by CamScanner